

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 14/2024
अनवान : -

1. मांगेलाल सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 03/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 214/194 की कुल 3.4788 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम मांगेलाल सिंह पुत्र हीरजी दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरिसिंह है जो की प्रार्थी के समस्त दसतवेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड में दर्ज है। उक्त नाम प्रार्थी के अपने पिता के देहान्त होने के बाद जरिये विरासतन दर्ज होते वक्त गलत इन्द्राज हुआ है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम हीरजी के स्थान पर हरिसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज नामदुरुस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं होना केवल पता ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 214/194 की कुल 3.4788 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम मांगेलाल सिंह पुत्र हीरजी दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरिसिंह है जो की प्रार्थी के समस्त दसतवेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड में दर्ज है। उक्त नाम प्रार्थी के अपने पिता के देहान्त होने के बाद जरिये विरासतन दर्ज होते वक्त गलत इन्द्राज हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम


उप-खण्ड अधिकारी
नोहर

गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम हीरजी के स्थान पर हरिसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 214/194 की कुल 3.4788 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम मांगेलाल सिंह पुत्र हीरजी दर्ज है, में प्रार्थी अपना अपने पिता का नाम हीरजी के स्थान पर हरिसिंह दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम हरिसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 214/194 की कुल 3.4788 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम मांगेलाल सिंह पुत्र हीरजी के स्थान पर मांगेलाल सिंह पुत्र हरीसिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2025/ 693

तहसीलदार,

नोहर।

दिनांक : 5/6/25

विषय :- प्रकरण स0 14/2024 अनवानी मांगेलाल बनाम
सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या - 14/2024

अनवान : -

1. मांगेलाल सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 214/194 की कुल 3.4788 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम मांगेलाल सिंह पुत्र हीरजी के स्थान पर मांगेलाल सिंह पुत्र हरीसिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

02
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर